

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-11/आ०2-10120/2025-

1894

पटना, दिनांक:- 30/9/26

जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय अंचल के स्तर से कराई गयी स्थल जाँच में कई योजनाएँ बंद पाये जाने, कई घरों में गृह जल संयोजन नहीं पाये जाने, विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का रख-रखाव नहीं करने, कई घरों में जलापूर्ति बाधित रहने एवं CGRC पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-525-सह-पठित ज्ञापांक-526, दिनांक-14.03.2026 द्वारा श्री सरोज कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

02. निलंबित किये जाने के पश्चात श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1097, दिनांक-27.05.2026 द्वारा 15 दिनों के अंदर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जो अब तक अप्राप्त है।

03. विभाग द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा स्वयं के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्रवाई को विलंबित करने का प्रयास किया जा रहा है।

04. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों से यह स्पष्ट है कि उनके स्तर से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गयी है। उनके द्वारा विभागीय स्तर से निर्गत परिपत्रों एवं संकल्पों में निहित निदेशों, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित सुसंगत नियमों तथा बिहार वित्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। साथ ही उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

05. समीक्षोपरांत बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि अभिकथित आरोपों के लिए श्री कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री विजय कुमार, मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

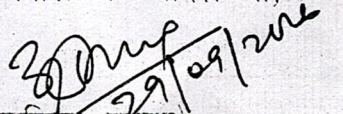
06. आरोपित श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अगति के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

07. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति एवं आरोप पत्र(अनुलग्नक सहित) श्री सरोज कुमार, तत० कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर, जाँच संचालन पदाधिकारी श्री विजय कुमार, मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया को दी जाय।

08. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

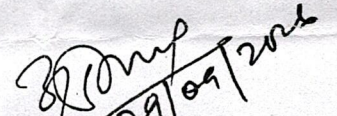
✓ 
(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-10120/2025- 1894

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:-वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

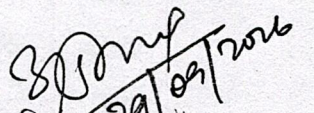
✓ 
(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-10120/2025- 1894

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:-श्री विजय कुमार, मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया/श्री सरोज कुमार, निलंबित कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर को आरोप पत्र की प्रति अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

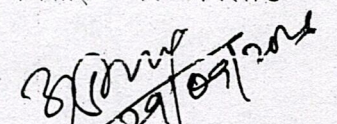
✓ 
(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-10120/2025- 1894

पटना, दिनांक- 30/9/26

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ 
(अरविन्द कुमार)

अपर सचिव